

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 28-08-2018

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित राजकीय आवास
1	2	4	6	7
1.	8/2014	डॉ० पारुल टेमाणी सहायक आचार्य (ऑर्थोडोन्टिक्स) कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	28.2.2045	II/19, गाँधीनगर, जयपुर
2.	9/2014	डॉ० अखिलेश कुमार मीणा चिकित्साधिकारी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष इम्यूनोहीमेटोलोजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2034	II/38, गाँधीनगर, जयपुर
3.	12/2014	डॉ० पिनाकिन पटेल सहायक आचार्य (सर्जरी) कार्यालय नियन्त्रण अधिकारी (संस्था), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (राज.)	31.5.2040	2/5, हीराबाग, जयपुर
4.	14/2014	डॉ० गुरुदत्त रायपुरिया कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) कार्यालय आचार्य एवं विभागाध्यक्ष शिशु शल्य चिकित्सा विभाग, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.1.2025	II/50, गाँधीनगर, जयपुर
5.	18/2014	श्री उम्मेद सिंह आर.ए.एस. उप निदेशक (राजस्व) राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर	30.9.2032	II/54, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
6.	21/2014	डॉ० धारा महेन्द्रा सहायक आचार्य (ऑपथोमॉलोजी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर	30.8.2043	5/6, हीराबाग, जयपुर
7.	24/2014	डॉ० विष्णु कुमार शर्मा सहायक आचार्य (मेडिसिन) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर।	31.12.2040	6/5, हीराबाग, जयपुर
8.	30/2014	डॉ० अशोक झाझड़िया सहायक आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर।	30.6.2038	II/58, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
9.	32/2014	डॉ० अशफाक हुसैन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (पैथोलॉजी विभाग), मोबाईल सर्जिकल यूनिट, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर	31.1.2028	एम-6, गाँधीनगर, जयपुर
10.	35/2014	डॉ० कमलेश कुमार चिकित्सा अधिकारी, सेन्द्रल जेल, जयपुर	31.7.2036	एन-24, गाँधीनगर, जयपुर
11.	38/2014	श्री विजय कुमार दलाल ए.सी.पी. (उप निदेशक) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर	31.8.2040	103, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
12.	42/2014	डॉ० सुरेश कुमार चिकित्साधिकारी	31.10.2035	204, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

		सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर 9414502087		
13.	48/2014	डॉ० प्रेमचन्द मीणा सीएएस रेजीडेण्ट, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.4.2034	303, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
14.	55/2014	श्री विजय प्रकाश एसीपी (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.10.2042	305, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
15.	59/2014	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, जयपुर।	31.5.2027	403, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
16.	61/2014	श्री विवेक कुमार आर.ए.एस., शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2029	603, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
17.	64/2014	श्री सत्यनारायण संयुक्त निदेशक उद्यान (कीट) उद्यान निदेशालय, जयपुर	30.6.2025	605, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
18.	72/2014	श्री दीपक राज एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर	30.11.2041	702, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
19.	78/2014	श्रीमती रेणु भट्ट जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, साक्षरता विभाग, कलक्ट्रेट, जयपुर	28.2.2031	704, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
5. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
6. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 5, 8 एवं क्रम संख्या 11-19 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ०

(डॉ० पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, राज्य अन्वेषण ब्यूरो जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. अधीक्षक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल जेल जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. सचिव, निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. निदेशक, उद्यान (कीट) राजस्थान जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी साक्षरता विभाग कलेक्ट्रेट जयपुर अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. **अधिकाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
18. अधिकाधी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
19. अधिकाधी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. **संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 28/9/14

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर